



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ९, अंक १४]

गुरुवार, फेब्रुवारी ९, २०२३/माघ २०, शके १९४४

[पृष्ठ ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १८

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)
वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road

New Delhi 110 001, dated the 6th February, 2023
17 Magha, 1944 (Saka)

NOTIFICATION

No.576/EXIT/2023/SDR/Vol.I.—Whereas, the schedules for the **General Elections to the Legislative Assemblies of Meghalaya, Nagaland and Tripura** have been announced by the Commission *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2023, dated 18th January, 2023 and bye elections to 01-Lumla(ST) Assembly Constituency of Arunachal Pradesh, 23-Ramgarh Assembly Constituency of Jharkhand, 98-Erode (East) Assembly Constituency of Tamil Nadu, 60-Sagardighi Assembly Constituency of West Bengal and 215-Kasba Peth and 205-Chinchwad Assembly Constituencies of Maharashtra have been announced by the Press Note No. ECI/PN/2/2023, dated 18th January, 2023 ;

2. Whereas, Section 126A of The Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) specifies that “(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard ;

(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely :—

(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories ;

(१)

(b) in case of a bye-election or a number of bye-elections held together, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on and from the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll :

Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll.

(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both. ”

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2) of the said Section, hereby notifies the period between **7:00 A.M on 16th February, 2023 (Thursday) and 7.00 PM on 27th February, 2023 (Monday)** as the period during which conducting and publishing or publicizing exit poll by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid General Elections and bye elections, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for the conclusion of the poll in connection with the aforesaid General and bye elections.

By Order,

S. B. JOSHI,
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक 6 फरवरी, 2023
17 माघ, 1944 (शक)**अधिसूचना**

सं.576/एक्जिट/2023/एसडीआर/खण्ड-I.— यतः निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2023 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे. नो./01/2023 के तहत घोषित मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों और प्रेस नोट संख्या ईसीआई / प्रे. नो./02/2023 दिनांक 18 जनवरी, 2023 के तहत घोषित अरुणाचल प्रदेश के 01- लुम्ला (अ.ज.जा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड के 23- रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू के 98-इरोड (पूर्व) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के 60-सागरदीघी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के 215-कसबा पेठ & 205-चिंचवड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है।

2. यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में लो. प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह निर्दिष्ट किया गया है कि “(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात :—

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी ;

(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी :

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।”

3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, **16 फरवरी, 2023 (गुरुवार) को पूर्वाह्न 7:00 बजे और 27 फरवरी, 2023 (सोमवार) को अपराह्न 7.00 बजे** के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर उल्लिखित साधारण निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण और उप-निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा ।

आदेश से,

एस. बी. जोशी,
प्रधान सचिव.

क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१५६/३३

सामान्य प्रशासन विभाग

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक ९ फेब्रुवारी, २०२३.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :-

- (१) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे.
- (२) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पुणे.
- (३) उप जिल्हाधिकारी व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पुणे.
- (४) विधानसभा मतदारसंघ पोट निवडणूक, निवडणूक निर्णय अधिकारी, २१५-कसबा पेठ व २०५- चिंचवड विधानसभा मतदार संघ, पुणे (जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत).
- (५) निवड नस्ती.

शरद दळवी,

अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी,

महाराष्ट्र राज्य.